न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 382/2018

सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला—जयपुर।

प्रार्थी,

वनाम

गणेश पुत्र चंदा, जाति—रैगर, निवासी—ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितिः—

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांकः 27.01.2021**

प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, आमेर ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010—23 ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील—आमेर के मुताबिक आराजी ख0नं0 46 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु. नहर दर्ज थी। भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि का आवंटन होने से नामान्तरकरण सं0 84 दिनांक 28.02.1973 के द्वारा रामसहाय पुत्र बीजा को गैर—खातेदारी दी गई एवं जरिये नामान्तरकरण सं0 284 दिनांक 14.02.1983 के द्वारा खातेदारी दी गई। ख0नं0 46 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा के नये ख0नं0 198 जमाबंदी सम्वत् 2059—62 के मुताबिक अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जबकि मिसल बन्दोबस्त 2010—23 में उक्त भूमि कि किस्म गै.मु. नहर दर्ज थी जो भूमि आवंटन की कार्यवाही धारा—16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत होने के कारण प्रभाव शून्य है। तहसीलदार, आमेर द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत कर डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे दिये गये निर्देशो के अनुसार दिनांक 15.08.1947 की स्थिति को यथावत् रखते हुए अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त कर गैर—मुमकिन नहर दर्ज की जाने हेतु निवेदन किया है।

उक्त रेफरेन्स प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी जा कर अति. कलक्टर (तृतीय), जयपुर द्वारा दिनांक 18.06.2009 को निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज भूमि को खातेदारी से निरस्त करने व वापस गैर—मुमकिन नहर दर्ज करने हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स किया गया।

उक्तानुसार रेफरेन्स प्रेषित किये जाने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 30.05.2013 को निर्णय करते हुए रेफरेन्स को अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार करते हुए इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कराया जावें और वर्तमान जमाबंदी के अंकन मूलतः जिस नियमन आदेश से सृजित हुए है उस आदेश की वैधानिकता का परीक्षण कर यदि आवश्यक हो तो पुनः स्पष्ट राय के साथ नवीन रेफरेन्स प्रेषित किया जावें।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से पुनः रेफरेन्स प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कराया जा कर तहसीलदार, आमेर को माननीय न्यायालय

से प्राप्त निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार, आमेर से दिनांक 16.12.2020 को रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि आवंटन के समय गैर–मुमकिन नहर दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गैर–मुमकिन नहर भूमि का आवंटन बाधित है। इसके बावजूद भी तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी के पक्ष में की गई है, जो अनुचित है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त करते हुए अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि को निजी खातेदारी से हटाकर पुनः राजकीय गैर–मुमकिन नहर दर्ज करने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, आमेर द्वारा इस न्यायालय में ख0नं0 198 रकबा 0.24 है0 भूमि जिसके गत ख0नं0 46 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा का रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में यह अंकित किया गया है कि सम्वत् 2010 लगा0 23 में ख0नं0 46 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा की किस्म गैर–मुमकिन सिवायचक बिला लगानी दर्ज थी। नामान्तरकरण सं0 84 दिनांक 28.02.1973 के द्वारा ख0नं0 46 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का आवंटन रामसहाय पुत्र बीज्या, जाति–खाती को आवंटन हुआ था। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्रकरण प्रति प्रेषित होकर प्राप्त होने पर तहसीलदार, आमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिकार्ड के अनुसार ख0नं0 46 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004 लगा0 2023 गैर–मुमकिन नहर दर्ज होना अंकित किया है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 10191 दिनांक 16.12.2020 के संलग्न प्रेषित आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रेषित आवंटन पत्रावली में दिनांक 21.10.1961 को रामसहाय पुत्र विजयलाल, जाति–ब्राम्हण को ख0नं0 47 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है। पत्र के संलग्न प्रेषित भूमि वितरण आदेश क्रमांक एल.आर./361 दिनांक 30.01.1962 में भी ख0नं0 47 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ही अंकित है तथा तत्समय की नोटशीट में भी ख0नं0 47 का ही अंकन है अर्थात् रामसहाय पुत्र बीज्या को ख0नं0 47 आवंटन की गई थी न कि ख0नं0 46 आवंटित की गई थी। मुताविक खतौनी बन्दोबस्त ग्राम गोविन्दपुरा सम्वत् 2004 लगा0 2023 में ख0नं0 47 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि बारानी दोयम थी जो कि राजस्थान काश्कारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत बाधित भूमि की श्रेणी में नही आती है।

अतः उक्त विवेचनानुसार तहसीलदार, आमेर द्वारा गत ख0नं0 46 के संबंध में रेफरेन्स तैयार कर प्रेषित किया गया है। जबकि आवंटन आदेश एवं आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रामसहाय पुत्र बीज्या को ख0नं0 47 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन किया गया था। तहसीलदार, आमेर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स एवं रिकार्ड विरोधाभाषी होने के कारण तहसीलदार, आमेर को प्रकरण पुनः प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण की पुनः नये सिरे जांच करें तथा जांच उपरान्त पुनः विधिक रूप से सम्पूर्ण प्रमाणित दस्तावेजो के साथ रेफ़रेन्स तैयार कर प्रेषित करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.01.2021 को सुनाया गया।

27.1.21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर